दिनांक 02.12.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

पानी पाउच बेचने वालों पर उड़नदस्ता ने की कार्यवाही , 20 बोरी पानी पाउच किया जप्त

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज नेहरूनगर , जवाहर नगर एवं रामनगर सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित पानी पाउच तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक/कैरीबैग, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ आदि पर कार्यवाही करते हुए कुल 3805 रुपये अर्थदण्ड वसूल किए! नगर पालिक निगम , भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने आज नेहरूनगर बटालियन के सामने शराब दुकान के आसपास के दुकानों से 17 बोरी पानी पाउच जप्त किया तथा जवाहर नगर एवं रामनगर के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित पानी पाउच व प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। नालियों पर कचरा , सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा लिया लिया गया तथा 09 व्यवसायियों से दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की प्रतिबंधित पानी पाउच , प्लास्टिक डिस्पोजल व कैरी बैग का विक्रय न करें अन्यथा नगर पालिक अधिनियम के तहत् सख्त कार्यवाही की जा सकती है। निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा बल्लू पान पैलेस ओम शांति ओम चौक संचालक मुस्ताक हुसैन के यहां से 2 बोरी पानी पाउच, विजय प्रसाद चाय नाश्ता गौरव पथ रामनगर के यहां से 2 बोरी पानी पाउच, राकेश अग्रवाल हाउसिंग बोर्ड रामनगर से सड़क बाधा शुल्क 1500 रूपए, गिरगेश पाण्डेय व प्रहलाद कंसट्रक्शन जवाहर नगर से सड़क बाधा शुल्क 500-500 सौ रूपए, 11 बटालियन के सामने श्रीनिवास द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करते पाए जाने पर 350 रूपए, 11वीं बटालियन के सामने उदय पान ठेला से 12 बोरी पानी पाउच व अन्य दुकानों से कुल 04 बोरी प्रतिबंधित पानी पाउच जप्त करने के साथ ही अर्थदंड की कार्यवाही की गई।

जनसम्पर्क अधिकारी